

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा) कबीरधाम

1928

// विज्ञापन का प्रारूप //

क्रमांक // आजाक / पीव्हीटीजी / 2024-25

कबीरधाम दिनांक 12/09/2024

जिला कबीरधाम अंतर्गत जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति कबीरधाम के अधीनस्थ संचालित विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आवासीय विद्यालय पोलमी एवं चौरा हेतु शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए अस्थायी रूप से शाला संचालन हेतु मानेदय पर अतिथि शिक्षक पी.जी.टी./टी.जी.टी. की पूर्ति हेतु विज्ञापन तिथि से दिनांक 25.09.2024 को कार्यालयीन समय पर कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कबीरधाम प्रथम तल कलेक्टरेट परिसर में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है विवरण :-

क्र	संस्था का नाम	पदनाम	संख्या	आयु	मानदेय
1	2	3	4	5	6
1	विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आवासीय विद्यालय पोलमी विकासखंड पंडरिया	पी.जी.टी- हिन्दी	1	21 से 35 वर्ष	मानदेय प्रति कालखण्ड तथा प्रतिदिन अधिकतम 4 कालखण्ड
		पी.जी.टी- अंग्रेजी	1		
		पी.जी.टी- सामाजिक विज्ञान	1		
		पी.जी.टी- विज्ञान	1		
		टी.जी.टी- हिन्दी	1		
		टी.जी.टी- अंग्रेजी	1		
		टी.जी.टी- गणित	1		
		टी.जी.टी- विज्ञान	1		
		टी.जी.टी- सामाजिक विज्ञान	1		
2	विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आवासीय विद्यालय चौरा विकासखंड बोडला	पी.जी.टी- हिन्दी	1	21 से 35 वर्ष	मानदेय प्रति कालखण्ड तथा प्रतिदिन अधिकतम 4 कालखण्ड
		पी.जी.टी- अंग्रेजी	1		
		पी.जी.टी- गणित	1		
		पी.जी.टी- सामाजिक विज्ञान	1		
		पी.जी.टी- विज्ञान	1		
		टी.जी.टी- अंग्रेजी	1		
		टी.जी.टी- गणित	1		

2- आयु की गणना :- अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 01.07.2024 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष छूट प्रदान करने संबंधी नियम लागू होगा।

3- अनिवार्य योग्यता :- (पी.जी.टी हेतु)

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ संवंधित विषय में स्नातकोत्तर हो।
2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एड. उत्तीर्ण होना चाहिए।
3. सी-टेट अथवा स्टेट टेट उत्तीर्ण हो। (उच्च प्राथमिक)
4. जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

Morin

4. अनिवार्य योग्यता :- (टी.जी.टी हेतु)

- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ संबंधित विषय में स्नातक (संबंधित विषय में अंतिम वर्ष की प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।)
- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एड. उत्तीर्ण होना चाहिए।
- सी-टेट अथवा स्टेट टेट उत्तीर्ण हो। (प्राथमिक)
- जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

5. दायित्व :-

- छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्यक्रम पर निर्धारित कालखण्ड तथा अध्यापन कौशल के साथ अध्यापन करना होगा तथा सभी अभिलेख संधारित करना होगा।
- प्राचार्य या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अन्य दायित्व को भी पूर्ण करना होगा।
- अतिथि शिक्षक हेतु चयनित अभ्यर्थियों को संस्था के प्राचार्य के निर्देशानुसार शिक्षकीय कार्य करना अनिवार्य होगा।
- विद्यार्थियों का सप्ताहिक/मासिक रिपोर्ट प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- कमजोर छात्र के लिए पृथक-पृथक से कक्षा लेकर उनके विषय की कमजोरी को दूर करना होगा।

6. अतिथि शिक्षकों के चयन संबंधी निर्देश :-

- आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता पी.जी.टी हेतु संबंधित विषय में स्नाताकोत्तर में प्राप्तांक का 80 प्रतिशत अंक तथा टी.जी.टी. हेतु संबंधित विषय में प्राप्तांक का 80 प्रतिशत के मान से मेरिट सूची जारी की जावेगी।
- मेरिट के आधार पर मेरिट के 05 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार एवं डेमो क्लास में लिया जावेगा, साक्षात्कार एवं डेमो क्लास में 20 अंक निर्धारित है। दो अभ्यर्थियों का एक समान अंक होने की स्थिति में आयु की गणना मान्य किया जावेगा।
- भर्ती केवल शैक्षणिक सत्र 2024–25 में समाप्ति तक होगा।
- अतिथि शिक्षक की भर्ती पूर्णतः अस्थायी है। चयनित अतिथि शिक्षक की सेवाएं नियमित भर्ती होने की स्थिति में अथवा कार्य व्यवहार उचित नहीं होने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है। अतिथि शिक्षक द्वारा भविष्य में स्थायीकरण करने की मांग नहीं करेंगे एवं इससे संबंधित शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे।
- शिक्षा सत्र समाप्ति के पश्चात कार्य की आवश्यकता होने पर जिला स्तरीय समिति द्वारा संबंधित शिक्षक के शैक्षणिक उपलब्धि, कार्य व्यवहार के मूल्यांकन तथा परीक्षा परिणाम उपरांत सेवा वृद्धि पर विचार किया जा सकता है।
- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में सर्व प्रथम जिला स्तरीय समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जावेगा। कलेक्टर महोदय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम मान्य होगा।
- चयनित अभ्यर्थियों को शाला में अध्यापन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व जिला चिकित्सालय से मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित संस्था में एक सप्ताह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना होगा नहीं करने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची वाले को अवसर दिया जावेगा।
- चयनित अभ्यर्थियों को वास्तविक कार्य दिवस का मानदेय प्राचार्य के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर देय होगा।

7. आवेदन पत्र जमा करने निर्देश :-

- आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे, भरे हुए आवेदन बंद लिफाफे में जिस पर आवेदित संस्था व पदनाम जिसके लिए आवेदन किया गया है स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो।

Momina

2. प्रत्येक पद व संरथा हेतु अलग—अलग आवेदन करना होगा।
3. आवेदन पत्र निर्धारित तिथि 25.09.2024 को रायঁ 5.00 वजे तक रजिस्ट्रेड डॉक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कबीरधाम छ.ग. के पते स्वीकार किया जावेगा, निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
4. विज्ञापित पदों की विस्तृत जानकारी जिले की वेवसाईट (www.kawardha.gov.in) अथवा कार्यालयीन सूचना पटल में अवलोकन किया जा सकता है। विज्ञापन में दिये गये आवेदन पत्र प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर आवेदन किया जा सकता है।
5. जिला स्तरीय समिति द्वारा शैक्षणिक पदों के लिए मेरिट के आधार पर किया गया चयन सर्व मान्य होगा।
6. जिला स्तरीय समिति को अधिकार होगा कि वह विज्ञापन को किसी भी समय निरस्त कर सकता है अथवा रिक्त पदों में से पूरे या आंशिक रूप से भर्ती कर सकता है। समिति को यह भी अधिकार होगा कि विज्ञापन की प्रक्रिया शर्तों को आवश्यकता होने पर विना किसी सूचना के संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है।
7. आवेदन पत्र में अपूर्ण /अस्पष्ट एवं ब्रूटिपूर्ण जानकारी पाये जाने पर आवेदन विना सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा। एक बार आवेदन किये जाने के बाद इसमें संशोधन की अनुमति नहीं होगी। भरे गये आवेदन में संलग्न अभिलेख जिला स्तर पर काउसलिंग /साक्षात्कार के समय मूल अभिलेखों से मिलान करने पर कमी या अंतर पाया जाता है तो निरस्त मानी जावेगी जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।
8. विज्ञापन संबंधी किसी भी प्रकार का सूचना/संशोधन जिले की वेवसाईट www.kawardha.gov.in पर अपलोड कर सूचित किया जावेगा। पृथक से सूचना/बुलावा पत्र नहीं भेजा जावेगा।
8. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की अभिप्रामाणित छायाप्रति की सूची :-
 1. हाईस्कूल सर्टिफिकेट की अंक सूची की स्व—हस्ताक्षरित छायाप्रति।
 2. हायर सेकेन्डरी सर्टिफिकेट की अंक सूची की स्व—हस्ताक्षरित छायाप्रति।
 3. स्नातक की अंक सूची की स्व—हस्ताक्षरित छायाप्रति।
 4. स्नातकोत्तर की अंक सूची की स्व—हस्ताक्षरित छायाप्रति।
 5. बी.एड. उत्तीर्ण की अंक सूची की स्व—हस्ताक्षरित छायाप्रति।
 6. सी—टेट अथवा स्टेट टेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की स्व—हस्ताक्षरित छायाप्रति।
 7. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की स्व—हस्ताक्षरित छायाप्रति।
 8. मूल निवास प्रमाण पत्र की स्व—हस्ताक्षरित छायाप्रति।
 9. रोजगार कार्यालय को जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व—हस्ताक्षरित छायाप्रति।
 10. आधार कार्ड की स्व—हस्ताक्षरित छायाप्रति।

Momin
सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास कबीरधाम

पृ.क्रमांक 1929
आजाक / पीक्षीटीजी / 2024-25
प्रतिलिपि :-

// 4 //

कवीरधाम दिनांक 19/09/2024

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्ड्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला-कवीरधाम की ओर सादर सूचनार्थ।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, (NIC) जिला कवीरधाम की ओर सूचनार्थ कृपया उक्त विज्ञप्ति जिले की बेवसाईट में अपलोड करने का कष्ट करेंगे।
4. सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला कवीरधाम की ओर सूचनार्थ। कृपया स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
5. प्राचार्य, विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालय पोलमी विकासखंड पंडरिया की ओर सूचनार्थ।
6. प्राचार्य, विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालय चौरा विकासखंड बोडला की ओर सूचनार्थ।
7. कार्यालयीन सूचना पटल में चर्पा हेतु।

Maine
सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास कवीरधाम

जिला कबीरधाम अंतर्गत संचालित विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आवासीय विद्यालय
में अतिथि शिक्षकों की भर्ती वर्ष 2024-25
विद्यालय का नाम विषय
प्रति,

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास कबीरधाम

अभ्यर्थी
का
पासपोर्ट
साइज
फोटो

1. आवेदक का पूरा नाम :—
 2. पिता / पति का नाम :—
 3. जन्म तिथि :—
 4. दिनांक 31.07.2024 की स्थिति में आयु :— वर्ष माह दिन
 5. श्रेणी (अनु.जाति / जनजाति / अ.पि.वर्ग) :—
 6. लिंग महिला / पुरुष :—
 7. आवेदक की मूल निवासी जिला :—
 8. पत्र व्यवहार का पता :—
-
9. मोबाइल नं. :—
 10. आधार नम्बर :—
 11. शैक्षणिक योग्यता :—

क्र.	कक्षा	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	हाईस्कूल स्तर					
2	हायर सेकेंडरी					
3	स्नातक					
4	स्नातकोत्तर					
5	बी.एड.					
6	सी-टेट / स्टेट टेट					

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी अनुसार पूर्ण सत्य एवं सही है। जानकारी असत्य पाये जाने पर चयन होने की दशा में चयन प्रक्रिया से निष्कासित किया जा सकता है एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मैंने यह आवेदन पढ़कर एवं समक्षकर भरा है विज्ञापन में दिये गये नियमों के अनुसार मुझे अतिथि शिक्षक के पद पर आवेदन करने की पात्रता है जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्रमाणित कराने की संपूर्ण जवाबादारी मेरी होगी।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता